उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

सिविल अवमानना याचिका संख्या **330** सन 2022

दीपक रावत ..... याचिकाकर्ता

बनाम

सोनिका ..... प्रत्यर्थी ।

साथ

सिविल अवमानना याचिका संख्या **361** सन 2022

नरेंद्र कुमार और अन्य ..... याचिकाकर्तागण

बनाम

आशीष भट्टगही और अन्य ..... प्रत्यर्थी(गण)

साथ

सिविल अवमानना याचिका संख्या **363** सन 2022

जोध सिंह ए प्रोपराइटर फर्म ..... याचिकाकर्तागण

बनाम

मंजू और एक अन्य ..... प्रत्यर्थी(गण)

उपस्थित:

श्री परीक्षित सैनी, सिविल अवमानना याचिका संख्या **330** सन 2022 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री एस एस यादव सिविल अवमानना याचिका संख्या 363 सन 2022 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता।

श्री भुपेश कांडपाल, सिविल अवमानना याचिका संख्या 363 सन 2022 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता।

श्री योगीश पचोलिया सिविल अवमानना याचिका संख्या 330 सन 2022 में विद्वान न्यायालय मित्र

श्री एच. एम. रतूड़ी , राज्य के उप महाधिवक्ता।

सुनवाई और आदेश की तिथिः 03.01.2023

श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.

अवमानना आवेदन के इस समूह में जो संक्षिप्त प्रश्न उठा वह इस प्रकार हैः

" क्या भारत के संविधान, **1950** के अनुच्छेद **226** के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन के लिए अवमानना होगी, अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार और निपटान किया जाएगा?"

2. वी. चेल्लादुराई बनाम थिरुवंबलमपिल्लई और अन्य कंट.पी.(एमडी) संख्या 1280/2021 के मामले में डब्ल्यू.पी.(एमडी) संख्या 17140/2020 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की एकल पीठ ने इस बात पर विचार करते हुए कि क्या किसी अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए पारित एक निर्दोष आदेश के उल्लंघन के लिए अभ्यावेदन होगी, अभ्यावेदन पर समय के भीतर निर्णय नहीं लिया गया है या अभ्यावेदन पर निर्णय याचिकाकर्ता के विरुद्ध लिया गया है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" इस प्रकार, प्रत्यर्थी को कुछ लाभ देने के लिए किसी भी सकारात्मक निर्देश की अनुपस्थिति में न्यायालय उस आदेश की व्याख्या करने की स्थिति में नहीं होगा जिसमें अधिकारियों को इस बहाने से प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया गया है कि उक्त आदेश प्रत्यर्थी से अनुकूल आदेश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।"

3. मदुरै पीठ के एकल न्यायाधीश ने अग्रेतर कहा कि समय-समय पर अभ्यावेदन भेजने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और उसके आधार पर, रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं और अभ्यावेदन पर विचार करने के निर्देश के नियमित आदेश जारी किए जाते हैं।

इस तरह के आदेश न्याय के लिए कोई सेवा नहीं करेंगे।इसके विपरीत, इसके परिणामस्वरूप कई कार्यवाहियाँ होती हैं।ऐसे निर्देशों के आधार पर रिट याचिकाओं के पश्चात रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं।अन्यथा, वादी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए इस तरह के निर्देश के आधार पर एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट तरीके से काम कर रहे हैं।इस बात की पूरी संभावना है कि अधिकारी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए ऐसा आदेश पारित करने की स्थिति में वादियों के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं।इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित मत है कि प्रत्येक रिट याचिका में, मुद्दों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और पक्षों के अधिकारों को स्पष्ट किया जाना चाहिए जिससे अधिकारी कानून को ज्ञात तरीके से राहत दे सकें।भारत सरकार और एक अन्य बनाम पी. वेंकटेश, (2019) 15 एस. सी. सी. 613 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठीक इसी तरह का विचार लिया गया है, जिसमें पैरा-8 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह "अभ्यावेदन का निपटान" मंत्र उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी से व्याप्त हो रहा है।इस तरह के आदेश अत्यधिक बोझ वाले न्यायिक संस्थानों में मामलों का त्वरित या आसान निपटान कर सकते हैं।लेकिन, वे न्याया के लिए कोई सेवा नहीं करते हैं। जैसा कि इस मामले से पता चलता है , वादी फिर से अदालत में वापस आ गया है, उसने परिचर लागत वहन की है और कानूनी प्रक्रिया में देरी का सामना किया है।इसे पहली बार में एक काउंटर बुलाकर दूर किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप विवाद को अंतिम रूप दिया जा सकता था। XXXXXXX

4. अनिल रतन सरकार और अन्य बनाम हीरक घोष और अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 21 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अवमानना के दायरे का फैसला करते हुए कहा है कि, " एक अदालत के स्पष्ट और स्पष्ट आदेश की अवज्ञा, जो एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, न्यायालय की अवमानना के बराबर होगी। " पैरा **13** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर कहा कि "मामले को अग्रेतर बढ़ाने से पहले, इस मोड़ पर कुछ बुनियादी वैधानिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालय अवमानना अधिनियम, **1971** को देश में न्यायाधीश के उचित और उचित प्रशासन के लिए आम लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से अधिनियम-पुस्तक में पेश किया गया है-निस्संदेह यह अधिनियम अदालतों के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन यह अपने आप में सावधानी की एक कड़ी के रूप में काम करता है और जब तक कि इस प्रकार संदेह के बाद संतुष्ट नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम अदालतों के लिए अधिनियम के से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना न तो उचित होगा और न ही उचित होगा।"

5. उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों को छोटू राम बनाम उर्वशी गुलाटी (2001) 7 एस. सी. सी. 530 में की गई टिप्पणियों से मजबूत किया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि " जहां तक सबूत के बोझ और मानक का संबंध है, सामान्य कानूनी वाक्यांश 'जो दावा करता है उसे साबित करना चाहिए' का उन आरोपों के सबूत के मामले में उचित अनुप्रयोग है जिन्हें अवमानना का कार्य कहा जाता है। जहां तक 'सबूत के मानक' का संबंध है, यह ध्यान दिया जाए कि अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अदालत के असाधारण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक कार्यवाही अर्ध-आपराधिक है, और इस तरह, आवश्यक सबूत का मानक एक आपराधिक कार्यवाही का है और भंग को सभी उचित संदेह के बाद स्थापित करना होगा।"

6. इस प्रकार, इन उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने में दूसरे न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के स्वीकृत उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा अदालतें मुकदमे का फैसला करने के लिए मौजूद हैं, न कि अपने कर्तव्यों को उन अधिकारियों पर थोपने के लिए, जिनकी कार्रवाई/निष्क्रियता के खिलाफ याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसलिए, इस न्यायालय की मत है कि जिस मामले में एक रिट आवेदन का निर्णय करने वाली पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत आवेदन का निपटारा करती है, जिसमें प्रत्यर्थी को पक्ष के अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है और अधिकारी या तो सीमित निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं या याचिकाकर्ता के विरुद्ध फैसला लेते हैं, यह अदालत के आदेश की सोच-समझकर और जानबूझकर अवज्ञा नहीं होगी।हालाँकि, यह जोध सिंह के मामले में हमारे ध्यान में लाया गया है जो एक मालिक फर्म बनाम श्रीमती. मंजू यद्यपि एक अन्य, 2020 की सिविल अवमानना संख्या 363,2020 के डब्ल्यू. पी. एम. एस. No.1332 में एक समन्वय पीठ ने 29.10.2020 पर एक आदेश पारित किया है।

"*मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थना संख्या (ii) में दावा की गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।*

*अन्यथा भी, संविदात्मक दायित्व के प्रवर्तन के लिए कोई अनिवार्य परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने फिर अपनी प्रार्थना को सीमित कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन दिया है और संबंधित प्राधिकारी को उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए।*

*तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कार्यकारी अभियंता सिंचाई खंड मायापुर , हरिद्वार (प्रत्यर्थी संख्या 3) को यह निर्देश देकर किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 27.07.2020 पर यथाशीघ्र निर्णय लें , अधिमानतः अभ्यावेदन की प्रति के साथ इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर*।

7. इसके बाद, निर्देशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू. पी. एम. एस. संख्या 2051 सन 2022 दाखिल करके फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वर्ष 2020 में नीलामी और निविदा से संबंधित मामलों पर हाल ही में एकल पीठ द्वारा विचार और सुनवाई की गई। इस न्यायालय द्वारा पारित एक प्रशासनिक आदेश के आधार पर, ऐसे मामलों को खण्ड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है। डब्ल्यू. पी. एम. एस. सं. 2051 सन 2022 खण्ड पीठ के समक्ष आया जिसमें खण्ड पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही डब्ल्यू. पी. एम. एस. 1332 सन 2020 में इस अदालत के अभ्यावेदन हो चुका है और उसके अभ्यावेदन के निपटारे के लिए एक आदेश पारित किया गया है, इसलिए उसी राहत के लिए दूसरी रिट याचिका को रेज़ जुडिकाटा द्वारा बाधित किया गया है।यद्यपि खण्ड पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले की रिट याचिका में पारित आदेश को लागू करने के लिए उचित मंच का रुख करने की स्वतंत्रता होगी, जिसका अर्थ है कि नागरिक अवमानना के लिए आवेदन दायर करना।

8. तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की मत है कि न्यायिक निर्णय के सिद्धांत मात्र कुछ मामलों में ही लागू होते हैं।

9. धारा 11 में यह प्रावधान है कि कोई भी अदालत किसी भी मुकदमे या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगी जिसमें प्रत्यक्ष रूप या पर्याप्त रूप खंड जारी किया गया मामला एक ही पक्षकारों के बीच पूर्व मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप और पर्याप्त रूप खंड जारी किया गया हो, या उस कमरे में

पक्षकारों के बीच जो एक ही शीर्षक के अन्तर्गत मुकदमा कर रहे हैं या नहीं, बाद के मुकदमे या उस मुकदमे पहले सक्षम अदालत में जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है और अदालत द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।वर्तमान मामले के लिए उनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।इसलिए इसके आवेदन में न्यायपालिका के सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहले के मुकदमे में सुनवाई की जानी चाहिए और अंत में अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। किसी अभ्यावेदन का निपटान न तो मामले की सुनवाई है और न ही वादी का अंतिम निर्णय या वादी के मुद्दों का अंतिम निर्णय है।

10. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास ॥ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715 में दिए गए संविधान पीठ के फैसले के बाद , पी. बंदोपाध्या बनाम भारत संघ (2019) 13 एससीसी 42 के हालिया फैसले में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया था।

*एस. वी. वसीकर बनाम भारत संघ के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, और तब से यह अंतिम रूप ले चुका है। इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा मांगी गई राहत को पुनर्न्याय के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। डायरेक्ट रिक्रूट क्लास॥ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें पांच न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति शर्मा, जे. ने कहा थाः*

*"35 ..... यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुनर्न्याय के सिद्धांत रिट याचिकाओं पर लागू होते हैं। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की ओर से मांगी गई राहत वही है जो उसे अपनी सफलता की स्थिति में उच्च न्यायालय के समक्ष पहले की रिट याचिका में प्राप्त होती।*

*याचिकाकर्ता ने जवाब में तर्क दिया कि चूंकि इस अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका को बिना कोई कारण बताए सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था, इसलिए पुनर्निर्णय की दलील के लिए आदेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि यह विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का इस न्यायालय का आदेश नहीं है, जिस पर भरोसा किया जा रहा है; पुनर्न्याय की याचिका उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर दायर की गई है जो विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद अंतिम हो गया। इसी तरह की स्थिति में दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जहां उच्च न्यायालय गुण-दोष के मामले की सुनवाई करने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एक रिट याचिका को खारिज कर देता है, वहां अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में समान तथ्यों पर और उन्हीं पक्षों द्वारा दायर समान राहतों के लिए दायर बाद की याचिका को न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य सिद्धान्त द्वारा बाधित किया जाएगा। सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालतों के निर्णयों का बाध्यकारी चरित्र मूलतः कानून के शासन का एक हिस्सा है जिस पर न्याय प्रशासन , जिस पर संविधान द्वारा इतना जोर दिया गया है, आधारित है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का फैसला गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के बाद पारित किया जाना चाहिए , जो पार्टियों को संविधान द्वारा प्रदान की गई अपील में रद्द किए जाने तक बाध्य होना चाहिए और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका द्वारा इसे दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।*

*(बल दिया गया)*

*यद्यपि संविधान पीठ का निर्णय सिद्धान्त 32 के अन्तर्गत दायर एक रिट याचिका के संदर्भ में था, यह सिद्धान्त 226 के अन्तर्गत दायर एक रिट याचिका को रोकने के लिए अधिक बल के साथ लागू होगा, जैसा कि वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के संचालन द्वारा।*

11. उच्चतम न्यायालय ने आवेदन के एक समूह पर विचार करते हुए, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि एक बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा एक आवेदन पर निर्णय लिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन न्यायपालिका के सिद्धांतों से प्रभावित है।इसका उत्तर देते हुए कि संविधान पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की है।

*"19. अब हमें प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर अपना निष्कर्ष बताना चाहिए।हमारा मानना है कि यदि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत किसी पक्ष द्वारा दायर रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर एक विवादित मामले के रूप में माना जाता है और इस प्रकार घोषित निर्णय को खारिज कर दिया जाता है, तो पक्षकारों को तब तक बाध्य करना जारी रहेगा जब तक कि इसे अन्यथा अपील या संविधान के अन्तर्गत अनुमेय अन्य उचित कार्यवाही द्वारा संशोधित या उलट नहीं किया जाता है। यह किसी पक्ष के लिए खुला नहीं होगा कि वह उक्त निर्णय की उपेक्षा करे और समान तथ्यों पर की गई मूल याचिका द्वारा और समान या समान आदेश या रिट प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत इस न्यायालय का रुख करे। यदि अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में दायर याचिका गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि रिट के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार की अड़चनों के कारण या यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि पक्षकार के पास एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, तो रिट याचिका को खारिज करना अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत बाद की याचिका के लिए एक बाधा का गठन नहीं करेगा, सिवाय उन मामलों के जहां और यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पाए गए तथ्य स्वयं अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत भी प्रासंगिक हो सकते हैं। यदि एक रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है और उस ओर से एक आदेश घोषित किया जाता है, तो बर्खास्तगी एक बार का गठन करेगी या नहीं, यह आदेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि आदेश गुण-दोष पर है तो यह एक बाधा होगी, यदि आदेश से पता चलता है कि बर्खास्तगी इस कारण से थी कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था या उसके पास एक वैकल्पिक उपाय था तो यह एक बाधा नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जो हमने पहले ही संकेत दिए हैं। यदि याचिका को मौखिक आदेश पारित किए बिना सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है, तो इस तरह की बर्खास्तगी को पुनर्निर्णय का प्रतिबंध बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि, प्रथमदृष्टया उस संबंध में कोई मौखिक आदेश पारित किए बिना भी बर्खास्तगी दृढ़ता से सुझाव दे सकती है कि न्यायालय ने यह विचार लिया कि याचिका में कोई सार नहीं था; लेकिन एक मौखिक आदेश की अनुपस्थिति में यह तय करना आसान नहीं होगा कि न्यायालय के दिमाग में कौन से कारक वजन करते हैं और जिससे यह मानना मुश्किल और असुरक्षित हो जाता है कि ऐसी संक्षिप्त बर्खास्तगी गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी है और इस तरह से अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत दायर इसी तरह की याचिका के विरुद्ध पुनर्निर्णय में बाधा उत्पन्न करता है। यदि याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है तो यह अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत बाद की याचिका के लिए बाधा नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए निष्कर्ष मात्र न्यायिक मुद्दे तक ही सीमित हैं, जिसे इन रिट याचिकाओं में प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तर्क दिया गया है और कोई अन्य नहीं। इस निर्णय के आलोक में अब हम अपने समक्ष छह याचिकाओं में स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।*

12. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय किए गए मामलों और आधिकारिक घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि उच्च विशेषाधिकार रिट जारी करने के मामले में न्यायिक निर्णय के सिद्धांत तमात्र लागू होंगे जब पहले के आवेदन योग्यता के आधार पर निर्णय लें और अदालत ने इसके बारे में एक निश्चित निष्कर्ष दिया हो।

13. मामले के उस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय की मत है कि विवाद को हल करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ, अधिमानतः इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि पंजीकरण उचित निर्देशों के लिए मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।

14. हम इस मामले में हमारे द्वारा नियुक्त न्यायालय मित्र श्री योगेश पचोलिया द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

(संजय कुमार मिश्रा**, जे.)**

(नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रति प्रदान करें)

नाहिद